कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551
election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552

संख्या–1597/XXV–12(11)/2021 देहरादून : दिनांक 05 फरवरी, 2022

सेवा में, स्पीड पोस्ट

श्री विजय कुमार सक्सैना, एडवोकेट,
चैम्बर नं0–135
जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद,
हरिद्वार।

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र संख्या–51 दिनांक 03 फरवरी 2022 के साथ आपका अनुरोध पत्र दिनांक 03 फरवरी 2022 जो इस कार्यालय में दिनांक 03.02.2022 को प्राप्त हुआ है, में मांगी गयी वांछित बिन्दुओं से सम्बन्धित कार्यालय में धारित सूचना, निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैं–

बिन्दु संख्या	सूचना का विवरण
1	बिन्दु संख्या–1 से सम्बन्धित सूचना (अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2017) दो पेज में संलग्न प्रेषित है।
2	बिन्दु संख्या–2 से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।
3	बिन्दु संख्या–3 वित्त विभाग से सम्बन्धित है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता–
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001,

भवदीय,
B-S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

Recd. 03/2/2022

सूचना का अधिकार

लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय
4 बी, सुभाष रोड़, देहरादून
उत्तराखण्ड शासन।
दूरभाष– 0135–2712100/2712200

पत्र संख्याः 51/51–मु.स./सू.अ./2022 दिनांकः 03 फरवरी, 2022

लोक सूचना अधिकारी,
निर्वाचन विभाग/वित्त विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आवेदक श्री विजय कुमार सक्सैना, एडवोकेट, चै0 न0–315, जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद, हरिद्वार–249401 द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2022, जो लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, सचिवालय, देहरादून में दिनांक 31.01.2022 को प्राप्त हुआ है, को मूल रूप में आपको सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) की व्यवस्थानुसार इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा अनुरोध पत्र पर मांगी गई सूचना निर्वाचन विभाग/वित्त विभाग से संबंधित है। अतः अनुरोधकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र की वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।
संलग्नः यथोक्त।

(दिनेश कुमार पुनेठा)
लोक सूचना अधिकारी/सहायक स्टाफ आफिसर,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकनः /स.स्टा.आ.–मु.स./सू.अ./2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–श्री विजय कुमार सक्सैना, एडवोकेट, चै0 न0–315, जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद, हरिद्वार–249401 को सूचनार्थ। आप द्वारा मांगी गई सूचना मुख्य सचिव कार्यालय की अभिरक्षा/नियंत्रण में धारित नहीं है अपितु निर्वाचन विभाग/वित्त विभाग से संबंधित होने के कारण आपका आवेदन पत्र संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जा रहा है। **यदि निर्वाचन विभाग/वित्त विभाग से सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट न हों, तो कृपया निर्वाचन विभाग/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रेषित करने का कष्ट करें।**
2. मुख्य लेखाधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संलग्न पोस्टल आर्डर सं0 56एफ 064507–064508–064509–064510–064511–064512 (रू0 60/–) को राजकोष में जमा कराने का कष्ट करें।

(दिनेश कुमार पुनेठा)
लोक सूचना अधिकारी/सहायक स्टाफ आफिसर,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना पाने हेतु आवेदन- पत्र

सेवा में

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय
कार्यालय- मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन देहरादून
उत्तराखंड।

विषय सूचना पाने हेतु आवेदन- पत्र

महोदय

प्रार्थी को कोषागार विभाग उत्तराखंड से निम्नलिखित सूचना का पूर्ण विवरण व संबंधित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए।

,1- उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2017 के विधानसभा निर्वाचन की अधिसूचना कब जारी हुई ,तथा उत्तराखंड राज्य में आदर्श आचार संहिता कब से कब तक प्रभावी रही (दिनांक सहित) शासनादेश/आदेश की प्रमाणित छायाप्रति।

2- उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2017 विधानसभा निर्वाचन के दौरान जारी आचार संहिता के दौरान राज्य सरकार द्वारा कितने शासनादेशों और आदेशों को राज्य में लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त की तथा कितने शासनादेशों/आदेशों को उत्तराखंड राज्य में लागू किया गया ।अनुमति पत्र व शासनादेशों/आदेशों को लागू किये जाने के दिनांक सहित शासनादेशों की प्रमाणित छाया प्रति ।

3- उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2018 में 01/अप्रैल/2018 से 10/ जून/2018 तक कितने वित्त से संबंधित शासनादेश उत्तराखंड शासन द्वारा जारी किए गए, शासनादेशों/आदेशों का शासनादेश संख्या तथा जारी शासनादेशों/आदेशों की प्रमाणित छाया प्रति(दिनांक सहित) ।

संलग्न- 60/00 रूपये का पोस्टल आर्डर नं056f064507से 56f064512तक निर्धारित फीस व छाया प्रतिलिपी की फीस के लिये है।

दिनांक-27-01-2022

आवेदनकर्ता

Vijay Kumar

विजय कुमार सक्सैना एडवोकेट
चैम्बर न0 315
जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद हरिद्वार।
Ph- No- 9897068308

দহ টকা দশ টাকা દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ പത്തു രൂപ பத்து ரூபா दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

जारी करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE 25.1.22

PAY TO मुख्य सचिव उत्तराखण्ड देहरादून को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

इस आर्डर को रद्द करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

सत्यमेव जयते

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

विजय कुमार ...
... 315 ...
... देहरादून

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER
25/1/2022

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

56F 064507

पदि रूपायलु

দহ টকা দশ টাকা દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ പത്തു രൂപ பத்து ரூபா दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

जारी करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

PAY TO मुख्य सचिव उत्तराखण्ड देहरादून को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

इस आर्डर को रद्द करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

सत्यमेव जयते

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

विजय कुमार ...
... 315 ...
... देहरादून

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER
25/1/2022

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

56F 064508

पदि रूपायलु

দহ টকা দশ টাকা દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ പത്തു രൂപ பத்து ரூபா दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

जारी करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE 25.1.22

PAY TO मुख्य सचिव उत्तराखण्ड देहरादून को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

इस आर्डर को रद्द करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

सत्यमेव जयते

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

विजय कुमार ...
... 315, ...
... देहरादून

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER
25/01/2022

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

56F 064509

पदि रूपायलु

दइ टका दश टाका દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ పది రూ പത്തു രൂപ दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

जारी करने वाले डाकघर की तारीख सहित मोहर / ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE: 25-1-22

PAY TO मुख्य सचिव उत्तराखंड देहरादून को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

अदा करने वाले डाकघर की तारीख सहित मोहर / PAYING OFFICE STAMP WITH DATE

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.
विजय कुमार [illegible]
मो० नं० 315 [illegible]
[illegible] हरिद्वार

पोस्ट मास्टर POSTMASTER
25/01/2022

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

56F 064510

দশ টাকা పది రూపాయలు

दइ टका दश टाका દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ పది రూ പത്തു രൂപ दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

जारी करने वाले डाकघर की तारीख सहित मोहर / ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE: 25-1-22

PAY TO मुख्य सचिव उत्तराखंड देहरादून को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

अदा करने वाले डाकघर की तारीख सहित मोहर / PAYING OFFICE STAMP WITH DATE

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.
विजय कुमार [illegible]
मो० नं० 315 [illegible]
[illegible] हरिद्वार

पोस्ट मास्टर POSTMASTER
25/01/2022

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

56F 064511

দশ টাকা పది రూపాయలు

दइ टका दश टाका દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ పది రూ പത്തു രൂപ दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

जारी करने वाले डाकघर की तारीख सहित मोहर / ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE: 22

PAY TO मुख्य सचिव उत्तराखंड देहरादून को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

अदा करने वाले डाकघर की तारीख सहित मोहर / PAYING OFFICE STAMP WITH DATE

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.
विजय कुमार [illegible]
मो० नं० 315 [illegible]
[illegible] हरिद्वार

पोस्ट मास्टर POSTMASTER
25/01/2022

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

56F 064512

দশ টাকা పది రూపాయలు

क्रम संख्या–06

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 20 जनवरी, 2017 ई0

पौष 30, 1938 शक सम्वत्

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

संख्या 464/भा0नि0आ0/क्षे0/उ0अनु0–2/उत्तरा0–वि0स0/2017

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2017

अधिसूचना

सं0 464/भा0नि0आ0/क्षे0/उ0अनु0-2/उत्तरा0-वि0स0/2017:- यतः उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी तथा 20 जनवरी, 2017 (शुक्रवार) को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त अधिनियम तथा तद्वीन् बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधो के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:-

(अ) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित नियत करता है:-

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	27 जनवरी, 2017 (शुक्रवार);
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	30 जनवरी, 2017 (सोमवार);
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	01 फरवरी, 2017 (बुधवार);
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।	15 फरवरी, 2017 (बुधवार);
(ड)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा।	15 मार्च, 2017 (बुधवार); और

(आ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
राहुल शर्मा,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 464/ECI/TERR/NOR-2/UK-LA/2017
Dated New Delhi, January 20, 2017

NOTIFICATION

No. 464/ECI/TERR/NOR-2/UK-LA/2017: - **WHEREAS,** the Governor of the State of Uttarakhand has, by notification issued under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), published in the official Gazette of the State on the 20th January, 2017 (Friday), been pleased to call upon all Assembly Constituencies in the State of Uttarakhand, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

NOW, therefore, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) **appoints,** with respect to the said election in each of the Assembly Constituencies,-

(a) **the 27th January, 2017 (Friday),** as the last date for making nominations;

(b) **the 30th January, 2017 (Monday),** as the date for scrutiny of nominations;